राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **18/2024**

GCMS No.2024/222

भोलाराम पुत्र श्री भींवाराम जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम ढाणी अहीरान तन् डाडा फतेहपुरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

.......आवेदक

ब–ना–म

1. बस्तीराम पुत्र भींवाराम (फौत)

1/1 गीतादेवी पत्नी स्व. बस्तीराम आयु 64 वर्ष

1/2 विक्रम पुत्र स्व. बस्तीराम आयु 47 वर्ष

1/3 माया देवी पुत्री स्व. बस्तीराम आयु 45 वर्ष

1/4 सुनिता पुत्री स्व. बस्तीराम आयु 43 वर्ष

1/5 सुरेश पुत्र स्व. बस्तीराम

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी अहिरान तन् डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. सत्यनारायण पुत्र जयदयाल नवीरा भींवाराम
3. जयसिंह पुत्र जयदयाल नवीरा भींवाराम
4. कैलाश पुत्र प्रहलाद नवीरा भींवाराम
5. कंवर सिंह पुत्र प्रहलाद नवीरा भींवाराम
6. रामस्वरूप पुत्र प्रहलाद नवीरा भींवाराम
7. सुभाष पुत्र प्रहलाद नवीरा भींवाराम
8. ईश्वर पुत्र बिरजुराम
9. रामनिवास पुत्र बिरजुराम
10. माडूराम पुत्र बिरजुराम
    जाति अहीर निवासीगण ढाणी अहिरान तन् डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
11. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबन्धक।
12. झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. उप पंजीयक, खेतड़ी तहसील खेतड़ी।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी

.......अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:00:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: दिनांक 27/11/25

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम डाडा फतेहपुरा पटवार हल्का डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2073 लगायत 2076 के हाल खाता संख्या नया 294 में दर्ज खसरा नंबर 1907 रकबा 0.50 है. भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा हाल खाता संख्या नया 254 में दर्ज खसरा नंबर 1906 रकबा 0.06 है. भूमि वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा हाल खाता संख्या नया 253 में दर्ज खसरा नंबर 1347 रकबा 0.64 है., ख.नं. 1908 रकबा 0.50 है., ख.नं. 1922 रकबा 0.63 है., ख.नं. 1934 रकबा 0.28 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.06 है. भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा हाल खाता संख्या नया 99 में दर्ज खसरा नंबर 1808 रकबा 0.24 है., ख.नं. 1809 रकबा 0.26 है., ख.नं. 1927 रकबा 0.62 है., ख.नं. 1933 रकबा 0.60 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.72 है. भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 4 लगा. 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा हाल खाता संख्या नया 24 में दर्ज खसरा नंबर 2526/1350 रकबा 0.17 है., ख.नं. 2527/1921 रकबा 0.26 है., ख.नं. 2530/1351 रकबा 0.17 है.,ख.नं. 2618/1928 रकबा 0.18 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.78 है. भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा हाल खाता संख्या नया 416 में दर्ज खसरा नंबर 2528/1921 रकबा 0.18 है., ख.नं. 2531/1351 रकबा 0.34 है., ख.नं. 2319/1928 रकबा 0.19 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.71 है. भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा हाल खाता संख्या नया 341 में दर्ज खसरा नंबर 2525/1350 रकबा 0.34 है., खनं. 2529/1921 रकबा 0.18 है., ख.नं. 2620/1928 रकबा 0.18 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 है. भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 10 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाके ग्राम डाडा फतेहपुरा स्थित गत खाता संख्या 64 में दर्ज खसरा नंबर 1347 रकबा 0.64 है., ख. नं. 1351 रकबा 0.51 है., ख.नं. 1906 रकबा 0.06 है., ख.नं. 1907 रकबा 0.50 है., ख.नं. 1908 रकबा 0.50 है., खनं. 1927 रकबा 0.62 है., ख.नं. 1928 रकबा 0.55 है. मूल खातेदार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगा. 7 के पूर्वज भींवाराम पुत्र मोहन थे तथा भींवाराम के भोलाराम, बस्तीराम, प्रहलाद व जयदयाल चार पुत्र हुए, इसलिए उक्त आराजियात में प्रार्थी भोलाराम, अप्रार्थी सं. 1 बस्तीराम, अप्रार्थी सं. 2 लगा. 3 के पिता जयदयाल व अप्रार्थी सं. 4 लगा. 7 के पिता प्रहलाद सभी का बराबर–बराबर हक व हिस्सा निहित हुआ तथा उक्त आराजियात प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगा. 7 की पैतृक भूमि है। उपरोक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 को उनके हकपूर्वाधिकारी भींवाराम पुत्र मोहन से विरासत में प्राप्त हुई है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगा. 7 भींवाराम पुत्र मोहन के वंशज है। अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 लगा. 3 के पिता जयदयाल, अप्रार्थी सं. 4 लगा. 7 के पिता प्रहलाद ने राजस्व कर्मचारियों से साज व मिलीभगत करके अपनी पैतृक भूमि की अदला बदली अप्रार्थी सं. 8 लगा. 10 के पिता बिरजू से कर खसरा नंबर 1928, 1351 बिरजू की खातेदारी में दर्ज करवा दिये। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 7 को उनके नाम से दर्ज प्रार्थी के हिस्से की उक्त पैतृक भूमि 0.3175 है. को बेचान, रहन, दान व अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द या हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं है तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि काश्त करने में बाधा पंहुचाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी [illegible] हुआ है कि वह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अप्रार्थी [illegible] 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवायें। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र बाबत [illegible] निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:00:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

(क) अप्रार्थी सं. 1 लगा. 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौरान दावा वे प्रार्थी की वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि वाके ग्राम डाडा फतेहपुरा स्थित हाल खाता संख्या 253 में दर्ज हाल खसरा नंबर 1347 रकबा 0.64 है., ख.नं. 1908 रकबा 0.50 है., ख.नं. 1922 रकबा 0.63 है., ख.नं. 1934 रकबा 0.28 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.06 है. भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्से की 0.3175 है. भूमि को बेचान, रहन, दान व अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द या हस्तान्तरण नहीं करें तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें या दखलंदाजी नहीं करें तथा ऐसा कार्य ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करवायें तथा मौके की यथारिथति बनाये रखें।

(ख) अप्रार्थी सं. 13 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौरान दावा वह प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि वाके ग्राम डाडाफतेहपुरा स्थित हाल खाता संख्या 253 में दर्ज हाल खसरा नंबर 1347 रकबा 0.64 है., ख.नं. 1908 रकबा 0.50 है., ख. नं. 1922 रकबा 0.63 है., ख.नं. 1934 रकबा 0.28 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.06 है. भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्से की 0.3175 है. भूमि के सम्बंध में अप्रार्थी सं. 1 लगा. 7 की ओर से प्रस्तुत किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण विलेख दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें। ऐसा ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी से करावें तथा प्रार्थी के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति बनायें रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि खाता संख्या 294 के खसरा नंबर 1907 रकबा 0.50 है. भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा है तथा खता संख्या 254 में दर्ज खसरा नंबर 1906 रकबा 0.06 है. भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 मृतक बस्तीराम की खरीदशुदा भूमि है वाद वर्णित भूमि का बाहमी बंटवारा के अनुसार 1987 के खाता विभाजन हो चुका है तथा उसी समय से अपने–अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चले आ रहे हैं। लेकिन भूमि खाता संख्या 64 में दर्ज खसरा नंबर 1347 रकबा 0.64 है., ख.नं. 1351 रकबा 0.51 है., ख. नं. 1906 रकबा 0.06 है., ख.नं. 1907 रकबा 0.50 है., ख.नं. 1908 रकबा 0.50 है., ख.नं. 1927 रकबा 0.62 है., ख.नं. 1928 रकबा 0.55 है. कुल किता 7 कुल रकबा 3.39 है. में अप्रार्थी सं. 1 मृतक बस्तीरम अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज थे एवं इनके देहान्त के बाद उमें उसके वारिशन अप्रार्थी सं. 1/1 लगा. 1/4 काबिज है लेकिन प्रार्थी को उक्त भूमि में अप्रार्थी सं. 1 के वरिशान को पाबन्द करवाने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि पर बंटवारा के अनुसार काबिज है प्रार्थी जिन तथ्यों को लेकर इस न्यायालय में आया है वह अस्वीकार है अप्रार्थी सं. 1 बस्तीराम अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा प्रार्थी इन वर्णित तथ्यों से अप्रार्थी सं. 1 से किसी प्रकार की कोई भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।........

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता सं. 253 खसरा नंबर 1347, 1908, 1922, 1934 कुल किता 4 कुल रकबा 2.06 है. ग्राम डाडा फतेहपुरा में अप्रार्थी सं. 1 बस्तीराम पुत्र भींवाराम हिस्सा पूर्ण एकांकी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 बस्तीराम की 20.06.2024 को मृत्यु हो चुकी है, इस कारण में अप्रार्थी सं. 1 के विधिक वारिशान को पक्षकारान बनाया जा चुका है। चूंकि उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 एकांकी खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थी का वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक कोई हिस्सा निहित नहीं है जिससे वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Ghouhan
Date: 2025.12.23 16:00:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलस्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

आधार पर किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:00:03 IST
Reason: SelfAttested